न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 3385–पीबीआर / 15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–8–15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 212 / अपील / 2014–15.

निर्मला बेवा झाम सिंह गोंड
निवासी पाठाखोड़ा
तहसील घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन कलेक्टर, बैतूल
2– रिन्यूअल स्प्रीचुअलट्रस्ट
द्वारा बी.के. मंजू बैतूल ....प्रत्यर्थीगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अपीलार्थी
शासकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्मला गोंड द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम पाठाखेडा स्थित खसरा नम्बर 23/6 रकबा 0.022 हेक्टेयर परिवर्तित भूमि प्रत्यर्थी कमांक 2 गैर आदिवासी को विकय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण कमांक 108/अ–21/14–15 में दिनांक 27–4–15 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद क समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–8–15 को आदेश पारित कर अपर

कलेक्टर का आदेश यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 165 तथा उसकी उप कंडिका का अध्ययन नहीं कर मात्र शासन के पत्र कमांक 192/178/2015/सात–6 दिनांक 26–3–2015 के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में वैधानिक भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अपील में विधि का यह प्रश्न समाहित है कि क्या नगर पालिका क्षेत्र की भूमि और कृषि भूमि इन दोनों पर संहिता की धारा 165 प्रभावशील होगी अथवा नहीं । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में वैधानिक भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होकर परिवर्तित भूमि है और कलेक्टर द्वारा पूर्व में दिनांक 24–12–2012 तक इस प्रकार की अधिसूचित क्षेत्र की भूमि के अन्तरण की अनुमति दी गई है । उनके द्वारा अपील स्वीकार कर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत जांच कराया गया है एवं शासन के नियम अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है । उनके द्वारा द्वारा अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी, जो कि आदिवासी वर्ग की महिला है और उसकी प्रश्नाधीन भूमि तहसील घोड़ाडोंगरी अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है । संहिता की धारा 165 में अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में भूमिस्वामी अधिकार का अंतरण ही प्रतिबंधित है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आयुक्त द्वारा भी स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त की गई

है कि आदिवासी व्यक्ति की भूमि नगर अथवा ग्राम किसी भी क्षेत्र में स्थित हो, गैर आदिवासी को अंतरण नहीं कर सकता है । अतः अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । इस प्रकार द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–15 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर